कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 2550/14-1 दिनांक, एटा, 8/ ,2018

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
47,ड्रीम सिटी, कॉलोनी,
वालजीवन घुट्टी के पीछे,
सारसौल, जी0टी0रोड, अलीगढ़।

विषयः **एटा में अलीगढ़ कानपुर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के कि0मी0 186 से 228 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 65.495 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ **कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 3000/एटा–91/22374/2017 दिनांक 25.04.2018क्ष्**

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरण एवं मंत्रालय केन्द्रीय कार्यालय(मध्य) लखनऊ के पत्रांक –8बी/यू0पी0/06/12/2018/एफ0सी0/54 दिनांक 23.04.2018 द्वारा 1 से 11 शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, दी गई शर्तो के कम में निम्न कार्यवाही अपेक्षित है–

शर्त संख्या 1–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0रु0 16983117.00 (एक करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ सत्रह मात्र) की धनराशि ई0 पोर्टल के माध्यम से जनरेट ई0 चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

शर्त संख्या 2(क)–एन0पी0वी0 की धनराशि 52592485.00 (पॉच करोड़ पच्चीस लाख बानवे हजार चार सौ पच्चासी मात्र) की धनराशि ई0 पोर्टल से जनरेट ई0 चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

2(ख)– जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई0 रसीद (मदवार विवरण अंकित हो) प्रस्तुत करें।

2(ग)– यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि यूजर ऐजेन्सी द्वारा जमा किये जाने सम्बन्धी बचन बद्धता।

शर्त संख्या 3–विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

शर्त संख्या 4–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों ओर व मध्यम मे (यदि भूमि उपलब्ध हो) वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी बचन बद्धता प्रमाण पत्र।

शर्त संख्या 5– मक डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रारुप में 4 प्रतियों में प्रेषित की जाये।

शर्त संख्या 6–वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र।

शर्त संख्या 10–राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क के किनारे स्थित वृक्षों का स्थानान्तरण ,परियोजना व्यय पर स्थानान्तरण हेतु वृक्षों की उपयुक्तता (suitability) ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तकनीकी व्यवर्हता (Technical feasibility) से सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–सी0ए0 वृक्षारोपण की स्थलवार लागत सारांश विवरण।

भवदीय
8/5/2018
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,एटा।

पत्रांक 2550/14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि –

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/5/2018
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

एटा जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 की हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित भूमि के बदले फिरोजाबाद वन प्रभाग की क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धी अवनत वनभूमि पर (वृक्षारोपण) लागत का सारांश

क0सं0	प्रभाग का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	आवश्यक धनराशि
1	फिरोजाबाद	फरौल नगरिया वन ब्लॉक द्वितीय	11.0805	1445224.03
2	—"—	फरौल नगरिया वन ब्लॉक तृतीय	24.9232	3181815.90
3	—"—	शंकरपुर वन ब्लॉक तृतीय व चतुर्थ	13.5806	1778376.12
4	—"—	उसमानपुर वन ब्लॉक प्रथम व द्वितीय	20.3179	2577111.80
5	—"—	चन्द्रवार वन ब्लॉक चतुर्थ	17.5347	2172334.74
6	—"—	चन्द्रवार वन ब्लॉक पंचम	9.4459	1284998.41
7	—"—	चन्द्रवार वन ब्लॉक षष्ठम	11.2311	1462428.21
8	—"—	चन्द्रवार वन ब्लॉक सप्तम	6.0991	985321.85
9	—"—	कुरींकूपा वन ब्लॉक	16.7774	2095505.94
		योग	**130.9904**	**16983117.00**

कुल 130.9904 हे0 क्षेत्र वन ब्लॉकों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वित्तीय प्राक्कलन की ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार सारांश तैयार किया गया है जिसके लिये रु0 16983117.00 (एक करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ सत्रह मात्र) व्यय होगा।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

E n 2017 ,